

13/6/25

पत्रावली पेश हुई / भार्यायक प्राथिया उपरि
 प्राथिया द्वारा ग्राम सोयला तहसील रामपुर की
 वासग्रन्त भार्या खान 268 खण्ड नं० 413
 रकबा 0.8094 हेक्टर में अप्रणीत क्रम 1 का
 7/40 हिस्सा हल रिकार्ड है। इस पत्रावली के
 मातृश्रित प्राथिया द्वारा कोई अन्य दस्तावेज
 पेश नहीं किया है। अतः वासग्रन्त भार्या
 अप्रणीत क्रम 1 की पुरक भार्या (ancestral
 property) साबित नहीं है। और पति के
 जीवनकाल के अन्त में अन्तिम The Hindu
 Succession Act के अनुसार कोई National
 Share नहीं लेता है। अतः प्रकृत
 प्रथम दृष्टया के सुविधा का अनुपलब्ध होने
 प्राथिया के पक्ष में साबित नहीं है। प्राथिया
 ना ही खाली है और ना ही अप्रणीत है।
 अतः प्राथिया को अप्रणीत कानि होने में साबित
 नहीं है। अतः प्राथिया का प्रकृत 48 212
 RT Act खण्ड 0.8094 R 132 OPC खाली
 किया जाता है। पत्रावली मूल प्रकृत के
 साथ (कमर ले कम होकर) सलत है।

[Signature]

13/6/25
उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला बाराबंकी (रमो)

